मे जारी हुए

24.2.25 पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष को पूर्व में प्रार्थना पत्र 212 RTA में सुना जा चुका है प्रार्थी पक्ष का वाद पत्र अन्तर्गत 53 RTA विचाराधीन है। जिसमें हकों व विभाजन का निर्धारण किया जाना है। वादपत्र में उभयपक्ष प्रभावी पैरवी कर सकते है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में स्थगन प्रभावी रहने से उभयपक्ष को कोई नुकसान प्रतीत नहीं होता है बल्कि उभयपक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही सिद्ध होगा। उपर्युक्त विवेचन स्वरूप इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन दिनांक 24.7.2023 को ता-फैसला दावा के CONFIRM किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:06:53 IST
Reason: SelfAttested